

भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरों क्षेत्रीय खान नियत्रंक का कार्यालय पोस्ट-फार्टोडा, मडगाँव, दक्षिण गोआ 403602

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF MINES INDIAN BUREAU OF MINES OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES P.O. Fatorda, Madgao, South Goa – 403602

दिनांक: 05-06-2014

संख्या: महा/िसन्द्य/एफ.ई.-43/गोवा

खानकोड 30MSH28013

सेवामें

श्री संदीप श्रीवास्तव, निर्देशक एंव खान मालिक,

डेक्कन मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड,

निर्मल, मध्य विंग, 16वा माला, नरीमन पाइन्ट, मुम्बई-400021

विषय: महाराष्ट्र राज्य के सिन्द्युदुर्ग जिले के वेगुं रला तालुका में स्थित आपकी सातेली लोह अयस्क खान 52.12 हेक्टेयर में खनिज संरक्षण एंव विकास नियमावली, 1988 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 15.05.2014 को श्री सुरेश कुलाल, महाप्रबन्धक की उपस्थिती में उपरोक्त खान का निरीक्षण में खनिज संरक्षण एंव विकास नियमावली, 1988 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन पाया गया था।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्योरा
13(1)	The mining operations in the lease area are not carried out as per approved modified
	scheme of mining and following deviations are observed during inspection.
	a) It was proposed in Para 6.2 and plate-10A to dump the waste towards northern
	part of lease area to accommodate 382965t waste material. There is proposal for
	backfilling of pit over eastern part from sections E-E' to G-G' during 2014-15. It is
	observed during inspection of mine that backfilling has been started in eastern part
	of pit from sections E-E' to G-G' during 2013-14 and 303188t waste generated
	from the lease is not dumped towards northern part of lease area.
45(5)(b)	It is observed while scrutiny of monthly & annual returns that grade-wise production
	and dispatch of mineral in item-3 of Part-VI is not reported in Annual returns of
	2009-10, 2010-11, 2011-12 and 2012-13, whereas different grades of stack are
	maintained at mines during crushing/screening of mineral for onwards export from
	Reddy port.

- 02. इस सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एंव विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध हैं।
- 03. उपरोक्त नियम की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एंव विकास नियमावली, 1988 के नियम 13(2) के अन्तर्गत खान में सभी खनन संक्रियाए बन्द की जा सकती है।
- 04. अत: आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एंव इसके सुधार की स्थिती की जानकारी इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(गिरीश कुमार जांगिड)

उप खान नियत्रंक

प्रतिलिपी सूचनार्थ: 1. खान नियत्रंक (द. आ.) भारतीय खान ब्यूरों, बैगलूरू

- 2. निर्देशक, भूविज्ञान एंव खान विभाग, पुराना सिचवालय भवन, पोस्ट बेग नम्बर-111, सिविल लाइन्स, नागपुर- 440001
- 3. जिला खनन अधिकारी, जिलाद्यीश कार्यालय, सिन्द्युदुर्ग, महाराष्ट्र

(गिरीश कुमार जांगिड)

उप खान नियत्रंक